**आदेश पत्रक**

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :आगरा,जनपद :आगरा,तहसील :आगरा**
**वाद संख्या :-719/2019**
**कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201911801719**
**मनेश कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार**
**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**



सम्भावना हो या सार्वजनिक सुविधा स्वास्थ्य, सेवा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना हो।

तहसीलदार सदर आगरा की आख्या दिनाक 27.02.2019 जिसके साथ सलग्नक नक्शा जिसे लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा पीली रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। नकल खतौनी मे आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधर सह खातेदार के रूप मे अंकित है। नकल खसरा व प्रार्थी का शपथपत्र संलग्न कर भेजा है। क्योकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है। आवेदक द्वारा अपने शपथपत्र मे यह स्वीकार किया है आवेदक ने जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार इस कृषि भूमि की दर 1,55,000,000/-- रूपये प्रति हैक्टे0 है, जिसका 01 प्रतिशत रू0 197873/--रू0 है। प्रार्थी द्वारा मु0 197873/--रू0 चालान संख्या- डी.सी. -751 दिनाक 12.04.2019 से जमा किया है तथा महानिरीक्षक निबन्धक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 2893/शि0का0लख0/2018/तददिनांक 30.08.2018 के अनुसार सर्किल रेट का 01 प्रतिशत न्याय शुल्क कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर मु0 197900/--रू0 न्यायालय में दाखिल कर दिये है। तहसीलदार सदर की आख्या के साथ संलग्न शपथपत्र आदि से संतुष्ट होते हुये उक्त प्रश्नगत भूमि मौजा गुतिला के खाता स0 00179 के गाटा स0 445ब रकबा 1.7030 हैक्टे0 मे से आशिक रकबा 1.2766 हैक्टे0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 अध्यादेश--15 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है प्रश्नगत भूमि के मध्य अन्य सार्वजनिक भूमि घोषित होने एव विकास से सम्बन्धित किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने की स्थिति मे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रभावी होगा। यह आदेश भूमि के अकृषक प्रयोग उदघोषणा मात्र है। तहसीलदार सदर की आख्या आदेश का अंग होगी। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। आदेश की प्रति सब रजिस्ट्रार तहसील आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17-05-2019

Secretory
Trust

(अभिषेक कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी (सदर)
आगरा।